न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 169/2017

1 भंवरसिंह पुत्र नारायण सिंह आयु 82 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 बजरंग सिंह जायन्दा पुत्र नारायण सिंह दत्तक पुत्र खेताराम जाति राजपूत निवासी ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2 भूमिधारी तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी. एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुंझुनू दावा उनवानी भंवरसिंह बनाम बजरंग सिंह वगैरह मुकदमा नम्बर 19/2005 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा निर्णय व डिक्री दिनांक 12.10.2017

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रमाकान्त गौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

## –निर्णय–

दिनांकः– 06.09.21

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 19/2005 में पारित निर्णय दिनांक 12.10.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने अदालत मातहत के यहां रेस्पोडेंट के विरूद्व एक दावा बाबत जमीन खसरा नम्बर 92,93,94 कुल 7.38 हैक्टेयर सरहद मौजा झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू के बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु पेश किया। अदालत मातहत ने अपीलांट के उक्त दावा को अपने निर्णय दिनांक 12.10.2017 के द्वारा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि जमीन जैर बहस को नारायण सिंह की खातेदारी की मानना व रेस्पोडेंट नम्बर 1 को नारायण सिंह का उतराधिकारी मानने की कानूनी गलती की है। खसरा गिरदावरी का अर्थ गलत निकाला है। प्रहलाद सिंह नामक बजरंग सिंह के कोई पुत्र है। मांगू सिंह नाम का पुत्र भंवर सिंह के नहीं है खसरा गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईट नहीं होती है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलांट की खातेदारी को कभी भी अन्दर मियाद 12 वर्ष कभी चुनौती नहीं दी है। नारायण सिंह का देहान्त होने के बाद भी अन्दर मियाद 12 वर्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 के जमीन जैर बहस के राजस्व रिकार्ड को चुनौती नहीं दी है। नारायण सिंह का देहान्त दिनांक 09.12.2016 को हुआ। खतौनी बन्दोबस्त संवत 2012 से 2031 की व्याख्या गलत की है। प्लीडिंग तथा मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से जमीन जैर बहस का अपीलांट टिनेन्ट साबित है। मांगूसिंह एवं प्रहलाद सिंह का जिस खसरा गिरदावरी में नाम दर्ज है उस वक्त प्रहलाद सिंह छोटा बच्चा तथा और काश्त करने में सक्षम नहीं था। अपीलांट ने टिनेन्सी के स्त्रोत को साबित किया है। इस प्रकार अपीलांट ने तनकी संख्या 1 को बखुबी साबित किया है। तनकी संख्या 3 को अपीलांट के विरूद्व तय करने में अदालत मातहत ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

कानूनी खामी की है। राजस्व रिकार्ड की व्याख्या अदालत मातहत ने गलत रूप से की है। अपीलांट का जमीन जैर बहस पर कब्जा साबित है। अदालत मातहत ने रेस्पोडेंट संख्या 1 का कब्जा मानने में कानूनी गलती की है। तनकी संख्या 4 व 5 को एक साथ तय करने में कानूनी गलती की है। राशन कार्ड व विधुत बिल का आधार मानकर उक्त तनकीयात को रेस्पोडेंट संख्या 1 के हक में मानने में कानूनी गलती की है। तनकी संख्या 4 व 5 का निर्णय एक साथ करने में गलती की है। रेस्पोडेंट संख्या 1 का कब्जा काश्त मानने में कानूनी गलती की है। अपीलांट का कब्जा काश्त व खातेदारी अपीलांट की तरफ से साबित की गयी है। अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट मंजूर फरमायी जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.10.2017 को अपास्त किया जाकर तनकी संख्या 1 से 3 का निर्णय अपीलांट के पक्ष में व तनकी संख्या 4 व 5 का निर्णय रेस्पोडेंट संख्या 1 के विरूद्व तय किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर. आर.डी. 2000 पेज 95, आर.आर.टी. 2011 पेज 424 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट को बार–बार आवाज लगाई गई। रेस्पोडेंट स्वंय एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने खसरा गिरदावरी का गलत विवेचन किया है। प्रहलाद सिंह नामक बजरंग सिंह के कोई पुत्र नही है। मांगू सिंह नाम का पुत्र भंवर सिंह के नहीं है खसरा गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईट नहीं होती है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलांट की खातेदारी को कभी भी अन्दर मियाद 12 वर्ष कभी चुनौती नहीं दी है। नारायण सिंह का देहान्त होने के बाद भी अन्दर मियाद 12 वर्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 के विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड को चुनौती नहीं दी है। नारायण सिंह का देहान्त दिनांक 09.12.2016 को हुआ। खतौनी बन्दोबस्त संवत 2012 से 2031 की व्याख्या गलत की है। मांगूसिंह एवं प्रहलाद सिंह का जिस खसरा गिरदावरी में नाम दर्ज है उस वक्त प्रहलाद सिंह छोटा बच्चा तथा और काश्त करने में सक्षम नहीं था। राजस्व रिकार्ड की व्याख्या विचारण न्यायालय ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

गलत रूप से की है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 का कब्जा मानने में कानूनी गलती की है। तनकी संख्या 4 व 5 को एक साथ तय करने में कानूनी गलती की है। राशन कार्ड व विधुत बिल का आधार मानकर उक्त तनकीयात को रेस्पोडेंट संख्या 1 के हक में मानने में कानूनी गलती की है। तनकी संख्या 4 व 5 का निर्णय एक साथ करने में गलती की है। रेस्पोडेंट संख्या 1 का कब्जा काश्त मानने में कानूनी गलती की है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2000 पेज 95 में माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि " Raj. Tenancy Act, Sections 13,15,16,19 & 180 (1)(d)- Acquirind khatedari rights - Held, mere possession at the time of commencement of 1955 Act is not sufficient to attract Sec. 15- Possession must be as a tenant - Khasra Girdawari is not a record of rights and therefore possession according to khasra Girdawari of Samvat 2009 tl 2014 does not confer any title or khatedari right on petitioners. इस न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का विधि अनुसार तनकीवार विवेचन कर पुन गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 06.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर